

निर्णय ब इजलास जगरुप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 395/2018 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लि. पंजीकृत पता एम-62 व 63, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई
दिल्ली ।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबू लाल सैनी प्रोपराईटर किशन ट्रेडर्स
2. सीमा सैनी

- क. किशन ट्रेडर्स भैरवा कालोनी डिग्गी मालपुरा रोड सांगानेर जयपुर
ख. प्लॉट नम्बर 4 ए भैरव कालोनी निजी खातेदारी स्कीम सांगानेर
ग. 43 भैरव कालोनी, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित :-श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14-10-2019




संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
26/8/2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी बाबूलाल सैनी के
स्वामित्व की प्लॉट नम्बर 4 ए, भैरव कालोनी सांगानेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 248.33 वर्ग गज
को बन्धक रख कर 12,22,209/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी
ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की
धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12/3/2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी
किये गये व इसके अतिरिक्त दि टाइम्स आफ इण्डिया व दैनिक नवज्योति में दिनांक
22/3/2018 को साया करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण
राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की
धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा
प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को
सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 19 सितम्बर 2007 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में विफल रहने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12/3/2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र कमशः टाईम्स ऑफ इण्डिया व दैनिक नवज्योति में 22.03.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी बाबू लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 4 ए, भैरव कालोनी सांगानेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 248.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (ज. क. सिंह यादव)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कतक्टर) जयपुर